उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती (सामान्य चयन)-2016

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर जाकर **Online Application Form** को **click** करें। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें। ''आन-लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थी निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन **(Submit)** करें:-

बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर निम्नलिखित भाग स्वत: प्रदर्शित होंगे:-

1- महत्वपूर्ण तिथियाँ और सहायता पटल विवरण
2- विज्ञापन
3- आवेदन कैसे करें
4- प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
5- पाठ्यक्रम

''आन-लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम स्तर:-

अभ्यर्थी को वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर जाकर **Online Application Form** पर क्लिक करना होगा। **click** करने के पश्चात अभ्यर्थी को ऑनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (फोटोग्राफ अधिकतम **80 KB (Only jpeg, jpg format 30 mmX45mm),** हस्ताक्षर अधिकतम 80 **KB (Only jpeg, jpg format 50 mmX25mm**) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष **(chest)** तक होनी चाहिये। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद **(Preview)** को **click** करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आन-लाइन आवेदन प्रेषित करने हेतु **"Submit"** बटन को **Click** करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व **Submit** बटन को **Click** करना आवश्यक है।

<u>द्वितीय स्तर:</u>

Submit बटन को **click** करने के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक की बेवसाइट स्वत: प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन शुल्क (रू0-400/-) का भुगतान ऑनलाइन अथवा चालान मोड के विकल्प से कर सकते हैं।

(क) ऑनलाइन आवेदन शुल्क अभ्यर्थी प्रदर्शित बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

(ख) ई-चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने हेतु अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की प्रदर्शित वेबसाइट से चालान डाउनलोड कर भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में नकद रूप से जमा कर सकते हैं।

<u>तृतीय स्तर:</u>

आवेदन शुल्क के भुगतान की पुष्टि **(Confirmation)** होने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट ले सकता है, जिस पर उसका आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण स्वत: प्रदर्शित होगा।

<u>टिप्पणी:-</u>

1. बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। अंतिम तिथि को शुल्क सायं 05:00 बजे तक ही देय होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करने का दायित्व अभ्यर्थी का है।
2. सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

(1) चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
(2) नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
(3) कंधे साफ दिखने चाहिए।
(4) सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
(5) ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो।
(6) तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली)।
(7) चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
(8) कैमरे पर सीधी नजर हो।
(9) चश्मा पहनने की स्थिति में आंखे साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना

चाहिए।

(10) फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए

यदि उपरोक्तानुसार फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैः-

क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

(1)- इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवेल प्रमाण पत्र अथवा

(2)- कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा का अंक पत्र/प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र या

(3) कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का प्रमाण पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-

(1)- मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग (नॉनक्रीमीलेयर) के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारूप-1** पर (01 अप्रैल, 2015 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए।

(3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-2** पर।

(4)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-3** पर निर्गत होना चाहिए।

(5)- भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'।

(6)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-4** पर होना चाहिए।

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

<u>अन्य</u>

1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।

2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, पुरूष अभ्यर्थी के एक से अधिक जीवित पत्नी के होने या महिला अभ्यर्थी द्वारा ऐसे पुरूष जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो से विवाह करने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित **(Debar)** करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

5- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।

6- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

<u>बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा</u>

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।